कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् रेणु शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, जालमसिंह का हत्था, जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि, खिरजाखास–शेरगढ, जोधपुर किया गया। रेणु शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–15312/2019 रेणु शर्मा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–15312/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–17.10.2019 द्वारा याचिकार्थी रेणु शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी रेणु शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं एक तलाकशुदा महिला होने एवं एक 12 वर्षीय दत्तक पुत्री होने, स्थानान्तरित स्थान के लिए आवागमन हेतु साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत राउमावि, जालमसिंह का हत्था, जोधपुर में पदस्थापन करने या शहर में ही स्थित अन्य विद्यालय में पदस्थापन करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी को जोधपुर जिले में ही पदस्थापित किया है, किसी अन्य जिले में नहीं। वर्तमान जिले में पदस्थापित होते हुए भी अपीलार्थिया द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है। **अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर दिनांक–04.11.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है।**

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता) 29/1
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./रेणु शर्मा/15312/2019 दिनांक– 29/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैवसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, राउमावि, जालमसिंह का हत्था, जोधपुर/राउमावि, खिरजाखास–शेरगढ, जोधपुर
9. रेणु शर्मा, व्या0 हिन्दी, राउमावि, खिरजाखास–शेरगढ, जोधपुर
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर